

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का )

आदेश फलक

1289  
13-14

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129 )

आदेश पत्रक नं० 1289

तारीख 25.9.13 से 8.10.13 तक

जिला पटना अनुमण्डल - बाढ़ अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार कारिबन - वारिज  
पारिवारिक स्वामी एवं वर्ष 2013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
25-9-13	<p>श्री/श्रीमति <u>श्री० लक्ष्मी देवी</u> पिता/पति <u>स्व० सहदेव प्रसाद</u> ग्राम <u>दानापुर खजौरा</u> थाना <u>खजौरा</u> जिला पटना अंचल बाढ़ जिला नै निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/वखशीशनामा बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर भ्रॉच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>22-9-13</u> को उपस्थापित करे।</p> <p><b>जमीन का विवरण</b> ग्राम/थाना नं० <u>खजौरा</u> खाता नं० <u>237</u> <u>76</u> खेसरा <u>184</u> रकबा <u>4.6875 अ०</u></p> <p style="text-align: right;"><u>25/9/13</u> अंचल अधिकारी बाढ़</p>	
28-9-13	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/दानपत्र/वख्शीसनामा  
बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः  
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम  
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 7-10-13  
को उपस्थापित करें।

29/9/13  
अंचल अधिकारी  
बाढ़

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

7-10-13

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा

काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 8-10-13  
को उपस्थापित करें।

2/11/13  
अंचल अधिकारी  
बाढ़

8-10-13

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर  
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की  
स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी  
बाढ़

2/11/13  
अंचल अधिकारी  
बाढ़